ऑन लाईन नं. RCMS 1998/00013

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 201/1998
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1 कृष्ण सिंह पुत्र रामरख जाति कापडिया निवासी वार्ड नम्बर 16 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

2. नन्दलाल पुत्र श्री दुलाराम जाति कापड़िया निवासी 37 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. श्री जगमोहन आहूजा अधिवक्ता अप्रार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता

आदेश दिनांक : 27.10.2020

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि नन्दलाल पुत्र श्री दुलाराम जाति कापड़िया निवासी 37 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर माना हुआ धोखेबाज व हवसी इंसान है। नन्दलाल अपने तामा पिता का अकेला वारिस है। इसका पिता फौत हो चुका है। इसकी माता मिलखी को डेरा सच्चा सोदा 26 पी एस. में कुछ सालो से रह रही है जिसके नाम से नन्दलाल ने सरकार से चक 41 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 2 के 22.10 बीघा नहरी भूमि व चक 37 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 28 के 8.00 बीघा नहरी कुल 30.10 बीघा भूमि अपनी माता के नाम से पुख्ता अलॉट करवा रखी है। चक 41 पी.एस. की जमीन भारत–पाक सीमा से बिलकुल चिपती है जिसके सहारे से वह तस्करी का कार्य भी करता है ऐसा सुनने में आया है कि चक 41 पी.एस. की भूमि व 37 पी.एस. की भूमि राजस्व तहसीलदार आदेशानुसार हल्का पटवारी रिपोर्ट साथ में सलंग्न है। इसकी माता मिलखी हरियाणा सरकार से बेसहारा वृद्व पेन्शन गांव मुहमदपुर रोही तहसील फतेहबाद जिला हिसार से भी उठाती है। नन्दलाल ने अपने नाम से चक 77 एन.पी. में मुरब्बा नम्बर 98/18 के 6 किला नहरी भूमि व चक रामसराकुम्हारान वाली (लिखमीसर) में 12.10 बीघा बारानी भूमि आरजी टी.सी. पर करवाकर उसे अपने नाम से पुख्ता अलॉट करवाने की दरखवास्त दे रखी है जिसमें इसने अपनी माता की जमीन 30.10 बीघा छिपाई है। चक 37 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 19 के 12.10 बीघा नहरी भूमि पर कब्जा कर रखा है जो इसके बड़े भाई ऐलचन्द की है। इसका भाई व भाभी का स्वर्गवास हो चुका है उनका एक लड़का जो 77 एन.पी. में रहता है, उसे जान से मारने की धमकी देकर जमीन दबा रखी है। नन्दलाल के पास कुल 36.00 बीघा नहरी भूमि 12.10 किला बारानी भूमि यानि 48.00 बीघा भूमि अपने नाम व अपनी माता के नाम से ले रखी है। 12.10 बीघा पर कब्जा कर रखा है जबकि एक परिवार को 25.00 बीघा भूमि का हकदार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

है। सरकार से निवेदन है कि जो आरजी टी.सी. भूमि को वह पुख्ता अलॉट करवाना चाहता है उसे इसकी बजाय किसी दुसरे गरीब परिवार को अलॉट कर दी जावें। नन्दलाल ने ग्राम पंचायत खांटा से व पंचायत समिति से मिलने वाली अनुदान राशि का जो गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले चयनित परिवारो को विकास अधिकारी व पंचायत के गावों में कॉलोनी, दुकान, व मकान बनाने के लिए लोन व अनुदान दिये जाते है उसमें श्रीमान ने अपने नाम अपनी माता के नाम अपने लड़के के नाम, अपनी भतीजे के नाम से चक 37 पी.एस. में लोन अनुदान उठा कर अपने घर के पक्के मकान बनाये है। कॉलोनी में अपने गुरदत्त के नाम लोन अनुदान फर्जी अंगूठे हस्ताक्षर कर उठायें है। घर में जो मकान बनाये है उसमेंदो नम्बर का सीमेन्ट लगाया है और फर्जी बिल पेश किया है। कृषि उपनिदेशक कार्यालय से इसने किसानों को मुफ्त व सब्सीडी पर खाद, बीज, ओजार, स्प्रे दवाई आदि लेकर आगे उन्हीं किसों को डबल रेट पर बेचता है। नन्दलाल ने रायसिंहनगर के वार्ड नम्बर 16 में अपनी औरत शान्तिदेवी के नाम से मौची सांसी बनकर एक प्लाट 20X40 वर्गफुट का नगरपालिका से अलॉट करवा कर हंशा पुत्र तीडीया को 7500/-रूपये में बेच दिया एवं प्लाट पर कब्जा करके दो मकान व चारदिवारी बना रखी है जहां पर गांव की भोली भाली नारियों की इज्जत से खेला जाता है। नन्दलाल एक कामी, चालू व हवसी इन्सान है यह हर एक कार्यालय से ताल्लुक जोड़कर अपनेआप को चलती वाला बताकर भोले भाले किसानो व औरतों को फासता है। नन्दलाल संदिग्ध आदमी है इसकी जांच करके इसके खिलाफ कार्यवाही की जावें।

पत्रावली का संधारण दिनांक 14.07.1992 को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा किया गया। कार्य विभाजन आदेश दिनांक 27.05.1997, आदेशिका दिनांक 15.07.1997 से पत्रावली जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के न्यायलय में दर्ज हुई। आदेशिका दिनांक 17.02.1998 से जिला कलक्टर महोदय के आदेशो की पालना में पत्रावली अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर न्यायालय में हस्तांतरित की गई। पत्रावली जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर से प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा पेशी में ली गई।

जिला कलक्टर ,श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 17.02.1998 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर से करवाई गई। तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी रिपोर्ट कमांकभू0अ0/98/2674 दिनांक 25.07.1998 से अवगत करवाया कि मुताबिक पटवारी हल्का बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1. श्रीमान उप जिलाधीश महोदय रायसिंहनगर के आदेश कमांक 7532 दिनांक 21.10.1976 द्वारा चक 37 पी.एस. मे मुरब्बा नम्बर 26 में 1.710 हैक्टर नहरी भूमि मिलखी बेवा दुल्ला व नन्दलाल पुत्र दुल्हा को आदेश कमांक 7532 दिनांक 21.10.1976 मिलखी बेवा दुल्हा व नन्दलाल पुत्र दुल्हा कोम कापड़िया को चक 41 पी.एस. मे मुरब्बा नम्बर 2 में 4.504 हैक्टर नहरी आवंटन है।
2. आवंटी मु. मिलखी बेवा दुल्हा व नन्दलाल पुत्र दुल्हा कोम कापड़िया साकिन 41 पी.एस. हैं।
3. इस आवंटित भूमि पर आवंटियों का कब्जा काश्त है।
4. इस आवंटित भूमि के अलावा आवंटियो के पास भूमि नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो की अप्रार्थी नन्दलाल की माता मिलखी हरियाणा सरकार से बेसहारा वृद्व पेन्शन गांव मुहमदपुर रोही तहसील फतेहबाद जिला हिसार से भी उठाती है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट कमांक 7532 दिनांक 21.10.1976 द्वारा चक 37 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 26 में 1.710 हैक्टर नहरी भूमि मिलखी बेवा दुल्ला व नन्दलाल पुत्र दुल्हा को आदेश कमांक 7532 दिनांक 21.10.1976 मिलखी बेवा दुल्हा व नन्दलाल पुत्र दुल्हा कोम कापड़िया को चक 41 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 2 में 4.504 हैक्टर नहरी आवंटन है। जो एक मुरब्बा भूमि से कम का आवटन है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आपसी विवाद को लेकर अन्य तथ्यों पर ज्यादा प्रतीत होती है। अतः शिकायत सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत जमीन के विवाद पर कम अन्य तथ्यों पर अधिक जोर दिया गया है जिसका कोई आधार पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी नन्दलाल की माता मिलखी हरियाणा सरकार से बेसहारा वृद्व पेन्शन गांव मुहमदपुर रोही तहसील फतेहबाद जिला हिसार से भी उठाती है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट कमांक 7532 दिनांक 21.10.1976 द्वारा चक 37 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 26 में 1.710 हैक्टर नहरी भूमि मिलखी बेवा दुल्ला व नन्दलाल पुत्र दुल्हा को आदेश कमांक 7532 दिनांक 21.10.1976 मिलखी बेवा दुल्हा व नन्दलाल पुत्र दुल्हा कोम कापड़िया को चक 41 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 2 में 4.504 हैक्टर नहरी आवंटन है जो एक मुरब्बा भूमि से कम है।

आवंटी आवंटन की अधिकतम सीमा में ही शुमार होकर आवंटन का पात्र है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत शिकायत/आवेदन सद्‌भाविक नहीं है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन और सुदीर्घ अवधि होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. मंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्री गंगानगर।

Scanned with CamScanner